



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 189 राँची, बुधवार,

23 अप्रैल, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

16 अप्रैल, 2025

पत्रांक- 13/आई०पी०एस०-108/2025-1559--

प्रेषक

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

श्री एम०एस० भाटिया, भा०पु० से० (1993) के द्वारा दिनांक-30.01.2025 से
25.03.2025 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध
में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री एम०एस० भाटिया, भा०पु० से० (1993) को महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक-10.05.2024 द्वारा दिनांक 30.11.2024 के प्रभाव से राज्य संवर्ग में योगदान देने हेतु महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पद से विरमित किया गया है तथा उक्त के क्रम में आदेश दिनांक 07.10.2024 द्वारा साठ (60) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

उक्त के आलोक में स्वीकृत उपार्जित अवकाश के उपभोग के उपरांत श्री भाटिया ने दिनांक-30.01.2025 के पूर्वाह्न में पुलिस मुख्यालय में योगदान किया। पुनः श्री भाटिया, भा०पु० से० द्वारा विभागीय

अधिसूचना सं०-1322/सी, दिनांक-25.03.2025 के आलोक में दिनांक-26.03.2025 के पूर्वाह्न में महानिदेशक-सह-महासमादेश, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री भाटिया, भा०पु०से० दिनांक 30.01.2025 से 25.03.2025 प्रभार रहित / पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं है।

2 उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री एम०एस० भाटिया, भा०पु० से० (1993) के द्वारा दिनांक-30.01.2025 से 25.03.2025 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम 9 (6) (a) (ii) तथा 9(6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (क) तथा 14 (ख) के तहत, पदस्थान की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में। सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. श्री एम०एस० भाटिया, भा०पु०से० (1993) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के सयुक्त सचिव ।
